विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

को पुर:स्थापित किये गये रूप में .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१४

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा ३६ का संशोधन.

२. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (गग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(गघ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, उस माह के प्रथम दिवस को, जिसमें कि निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, छह मास से अधिक की कालावधि के कोई शोध्य हों; या";

(दो) खण्ड (ज) का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश, २०१४(क्रमांक १० सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ३६ पंचायत के पदाधिकारी होने के लिए निरर्हता का उपबंध करती है. अब निरर्हता के संबंध में यह उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी किसी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, उस माह के प्रथम दिवस को, जिसमें कि पंचायत का निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, छह मास से अधिक की कालावधि के कोई शोध्य हों, पंचायत का कोई पदाधिकारी होने के लिए पात्र नहीं होगा. यह उपबंध नगरपालिक विधि के उपबंधों के अनुरूप ही है. ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो किसी प्रकार के कुष्ठ रोग, जो एक संक्रमण है, से पीड़ित है, यह निरर्हता हटाने का भी विनिश्चय किया गया है क्योंकि अब कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग नहीं है और यह सामाजिक घृणा के रूप में नहीं समझा जाता है. अतएव, अधिनियम की धारा ३६ को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश २०१४ (क्रमांक १० सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपान्तरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ दिसम्बर, २०१४

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ३६ पंचायत के पदाधिकारी होने के लिए निरर्हता का उपबंध करती है. अब निरर्हता के संबंध में यह उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी किसी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, उस माह के प्रथम दिवस को, जिसमें कि पंचायत का निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, छह मास से अधिक की कालावधि के कोई शोध्य हों, पंचायत का कोई पदाधिकारी होने के लिए पात्र नहीं होगा. यह उपबंध नगरपालिक विधि के उपबंधों के अनुरूप ही है. ऐसी किसी व्यक्ति के लिए जो किसी प्रकार के कुष्ठ रोग, जो एक संक्रमण है, से पीड़ित है, यह निरर्हता हटाने का भी विनिश्चय किया गया है क्योंकि अब कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग नहीं है और यह सामाजिक घृणा के रूप में नहीं समझा जाता है. अतएव, अधिनियम की धारा ३६ को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश २०१४ (क्रमांक १० सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपान्तरण के लाया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) से उद्धरण

धारा ३६(१) (ग-ख) ''जिसने सम्पूर्ण शोध्यों का संदाय नहीं किया है, जो पंचायत द्वारा वसूली योग्य है और ऐसे आशय की घोषणा कि उसके द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है, नाम निर्देशन-पत्र के साथ फाइल नहीं की है, या

(ग-ग) ''जिसने पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अधिक्रमण किया है, या

२. अधिनियम की धारा ३६ (दो) (ज) ''जो इस प्रकार कुष्ठ रोग से पीड़ित है जो संक्रामक है'' या

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.